

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत..... मुकाम.....
 34 (प्रादेशिक) 31 दी वपानगर
 दील आदि बनाम.....
 किस्त मुकदमा..... नं. 136 UR. Act- तहसीलदार वपानगर केरल
 सन् 23/1/2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामीज में जारी हुए
26/01/20	<p>प्रकार 34 की शर्तों के अन्तर्गत जजिफ नोडिफ तलब है। प्राप्ति पर मुसलमान तहसीलदार वपानगर से पिकास व शर्त की शर्तों - हेतु किया जावे। पशुवकी दिनांक 31/1/20 के पेश है</p> <p style="text-align: right;">[Signature]</p>	
31/1/2020	<p>पीठपीन अधिकारी नं. 10/10/20 काफ है प्रप पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक..... 10/3/20</p> <p style="text-align: center;">रीडर</p> <p>एस0डी0ओ0/एस0डी0एम0</p>	
10/3/21	<p>पीठपीन अधिकारी..... पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक..... 7/6/21 को पेश है</p> <p style="text-align: center;">[Signature]</p> <p>रीडर</p>	<p>तलब वपानगर की शर्तों के अन्तर्गत</p>
7/6/21	<p>एस0डी0ओ0/एस0डी0एम0 बयाना पीठपीन अधिकारी..... पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक..... 6/9/21 को पेश है</p> <p style="text-align: center;">[Signature]</p> <p>रीडर</p>	

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामीज में
जारी हुए

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

तारीख
हुक्म

नासराज पुत्र वी के कर्जें कातर व खातेदारी
की छोटी हुई पुानी आरणी स. न. 147 रक
1 बीघा 10 बिस्वा, 148 रक 1 बीघा 13 बिस्वा
1461 रक 11 बिस्वा ग्राम नयावास
तहसील काना स्थित हैं। जिन्के दोनो ही 2000
शरीफ 2000 407, 408, 409, 410, 411
ग्राम नयावास काए गए। दिनांक 30/11/2020
को प्राप्तिअन अपनी उषह अरणी की क. स. स.
फायल बनवाने गए तब परवादी हउडा न
लताया कि आपकी कस्मोडियन गैर खातेदार
दुई कर रखा हैं। तब सर्वप्रथम अस्की प्राप्ति
हुई। राजस्व डिपॉजिट में उषह अस्की के
प्राप्ति किया जाना आवरपड है।
अन में प्राप्तिअन पर प्राप्तिअन सीआ
का प्राप्तिअन के क्रम 407, 408,
409, 410, 412 डिग 5-डिग रक 0.60 है
ग्राम नयावास तहसील काना पर प्राप्ति
डीग 11/20 डिग, वडी 11/5, तलपन 11/5
वीरीअन 11/30 डिग पर ही रहे गलत
इन्हाज कस्मोडियन, गैर खातेदार के प्राप्ति
पर खातेदार की डिग जाने का निवेदन
किया है।

प्रकार- प्रेशा घरे पर की राजस्व
का प्राप्तिअन के जति नोडिस
तल डिग। तहसील पर वेधाना है
डिग व मार के की डिग तल वी-

उपजुड अधिकारी
बाना (भरतपुर)

तारीख
हुकम

जि. परिशिष्ट सा.उ. का जवाब दिनांक 10/3/21 को प्राप्त हो चुकी है। इसके प्रामाणिकता के विषय में सुना। परिशिष्ट सा.उ. के जवाब व प्रामाणिकता का अन्वयितन विषय प्रामाणिकता विवादित आ.ए.जी कन्सल्टिंग और रॉबर्ट्स के रॉबर्ट्स में सुदृ कथना चाहते हैं।

जमावन्दी संख्या 2051-2070 अगुसाए उक्त आ.ए.जी पर्यटन (कन्सल्टिंग) से दिनांक 21/1/75 जमा संख्या 2075-78 अगुसाए विवादित आ.ए.जी कन्सल्टिंग और रॉबर्ट्स के रूप में कर है। प्रामाणिकता ने एच.ओ.ए. एल.ए.ए. पेश नहीं किया कि उक्त आ.ए.जी संश्लेषण के रूप में रॉबर्ट्स में कर है। कन्सल्टिंग और रॉबर्ट्स के साथ 136 UR Act के तहत रॉबर्ट्स सुदृ नहीं किया जा सकता है। प्रामाणिकता को साथ 136 UR Act के तहत रॉबर्ट्स सुदृ करने की कोई दावती नहीं दी जा सकती है। प्रामाणिकता प्रामाणिकता खातिर गण्य है।

अतः प्रामाणिकता प्रामाणिकता खातिर किया जा रहा है। प्रमाण उल्लेख नम्बर से कर है। ताद तत्काल लागू किया गया है। आदेश शिवालय प्रमाणिकता के विषय में जिला जज के पास आया गया।

(Signature)
उपखण्ड अधिकारी
बबाना (भरतपुर)